प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील सं. 35/2011

(रिट याचिका सं. 3836/1989 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 14.12.2010 दिनांकित आदेश से उद्भूत)

1. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, द्वारा- अध्यक्ष, मुख्य कार्यालय, दयालबंद, बिलासपुर, म.प्र. (अब छत्तीसगढ़)

2. अध्यक्ष, बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुख्य कार्यालय, दयालबंद, बिलासपुर, म.प्र. (अब छत्तीसगढ़)

3. निदेशक मंडल, द्वारा- अध्यक्ष, बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दयालबंध, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, म.प्र. (अब छत्तीसगढ़)

4. छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, द्वारा- अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीलाल पेट्रोल पंप के पास, लिंक रोड, बिलासपुर (छ.ग.)

---- **अपीलार्थी**

बनाम

अजय कुमार जैन, पिता- श्री अयोध्या प्रसाद जैन, निवासी- दिगंबरन जैन मंदिर के पीछे, स्टेशन रोड, जिला- रायगढ़, म.प्र. (अब छ.ग.)

---- **उत्तरवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थियों की ओर से : श्री एस. एस. बघेल, अधिवक्ता, श्री बी. डी. गुरु, अधिवक्ता की ओर से

उत्तरवादियों की ओर से : श्री शशांक ठाकुर, अधिवक्ता

माननीय श्री थोताथिल बी. राधाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री शरद कुमार गुप्ता, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

द्वारा- थोताथिल बी. राधाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश

17/08/2017

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. यह रिट अपील उस निर्णय के विरुद्ध है जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियोक्ता- ग्रामीण बैंक द्वारा जारी सब्सिडी लाभ प्रदान करने के संबंध में अनुशासनहीनता के आरोपों पर एक शाखा प्रबंधक को सेवा से हटाने के आदेश को अपास्त कर दिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के परिणामस्वरूप, अपचारी घटक मजदूरी पर भी बिना किसी प्रतिबंध के बहाली का हकदार था।

2. इस अपील में, नियोक्ता- बैंक ने तर्क किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश का अनुशासनात्मक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना तथ्यों और सामग्रियों के आधार पर अन्यायपूर्ण था और यह कि भले ही अनुशासनात्मक कार्यवाही में हस्तक्षेप हो सकता था, बकाया वेतन (बैक वेजेस) के लिए आदेश स्वचालित रूप में जारी किया गया है, जो उस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले सुस्थापित मानदंडों के विरुद्ध है, जिसमें मार्गदर्शन के लिए न्यायिक उदाहरणों की भरमार है।

3. हमने अपीलार्थी- बैंक और उत्तरवादी- अपचारी के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

4. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ विशेषताएँ हैं जिन पर हमें अभी और यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। अपचारी को 26/08/1988 को सेवा से हटा दिया गया था और 1989 में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी। उस समय उसकी आयु लगभग 36 वर्ष थी। उस रिट याचिका का निर्णय 14/12/2010 को किया गया था। बहाली (पुनःस्थानपना) के परिणामस्वरूप, वह फिर से ड्यूटी में सम्मिलित हो गया और अधिवार्षकी की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होते तक चार माह तक काम किया। अतः सभी मंशाओं और उद्देश्यों के लिए, इस समय की दूरी पर, दोनों पक्षों के लिए प्राथमिक व्यावहारिक चिंतन की बात यह होगी कि अपचारी बहाली के लिए आक्षेपित आदेश के कारण वेतन या अन्य सेवा लाभों के माध्यम से क्या लाभ या हानि कर सकता है, जब तक कि अनुशासनात्मक कार्यवाही और दंड में हस्तक्षेप न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष अनुचित हैं क्योंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही एक जांच के माध्यम से की गई थी जो घरेलू जांच के लिए तय किए गए विधिक मानदंडों को संतुष्ट करती है। उन्होंने कहा कि जबकि अपचारी का अभिवाक् यह है कि उसे मौखिक साक्ष्य देने वाले साक्षियों की सूची और दस्तावेजों की सूची भी प्रस्तुत नहीं की गई थी, मामले का तथ्य यह है कि नियोक्ता की ओर से जिन साक्षियों का परीक्षण किया गया था, उनसे अपचारी द्वारा या उसकी ओर से प्रति- परीक्षण किया गया था और दस्तावेज़ प्रति- परीक्षण के दौरान उपलब्ध थे और उन दस्तावेजों पर वास्तव में सुनवाई के दौरान चर्चा की गई थी, जैसा कि जांच रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों से प्रचुर मात्रा में परिलक्षित होता है। उन्होंने आगे तर्क किया कि, किसी भी तरह से, अच्छे वेतन के लिए आदेश बिना कोई कारण बताए जारी किया गया है और उक्त निर्णय को अनिवार्य रूप से जाना है।

6. इसके विपरीत, अपचारी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि यह अभिलेख पर उपलब्ध बात है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, अपचारी को आवश्यक दस्तावेजों तक पहुंच का अवसर नहीं दिया गया था, जिसमें वे संचार भी सम्मिलित थे जिन्हें

उसने कथित रूप से बैंक को संबोधित किया था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही द्वेष और दुर्भावना से प्रेरित होती है और वरिष्ठ अधिकारियों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से उपकरणित होती है, जिनकी धुन पर अपचारी ऋण प्रदान करना और बैंक से निपटने वाले विभिन्न उपभोक्ताओं को सब्सिडी जारी करने के संबंध में उनके अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने आगे तर्क किया कि अपचारी 35 वर्ष की उम्र में एक शाखा प्रबंधक के रूप में अपने करियर के एक दुर्जेय स्तर में था और उसे सेवा से बाहर करने का कोई कारण नहीं था और इस तरह उसका पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

7. हमने पेपर-बुक और पूछताछ सामग्री सहित पूरी सामग्री का परिशीलन किया है, जो सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराई गई है। हमने निवेदनों के आलोक में मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है, साथ ही अपचारी के करियर ग्राफ के साथ-साथ अब तक के मुकदमेबाजी के ग्राफ को भी ध्यान में रखा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. बैंक यह तर्क देकर आक्षेपित निर्णय की आलोचना करने में अन्यायपूर्ण नहीं है कि यह केवल प्राकृतिक न्याय के नियमों और अन्य अवधारणाओं को दोहराकर किया गया है जिन्हें न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख कर संस्था में अंतर्निहित किया जाना चाहिए; यद्यपि, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा भौतिक निष्कर्षों को छूने वाले मूल विवाद्यक का उल्लेख किए बिना। हम यह बहुत सावधानी से कहते हैं, क्योंकि यद्यपि आक्षेपित निर्णय में अलग-अलग उदाहरण उद्धृत किए गए हैं, लेकिन प्रकरण के तथ्यात्मक पहलू, जो निर्णय लेने में महत्वपूर्ण हैं, उन पर न्यायिक पुनर्विलोकन में आवश्यकता के अनुसार उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। यह सच है कि घरेलू जांच सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही की न्यायिक पुनर्विलोकन में यह पता लगाने पर जोर दिया जाता है कि क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। तथ्यों और सामग्रियों का समामेलन और उस संबंध में जांच प्राधिकरण के निष्कर्षों की न्यायसंगतता न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय नहीं हो सकती है, जिससे तथ्यात्मक

पहलुओं और निष्कर्षों में हस्तक्षेप होता है जब तक कि वे स्पष्ट रूप से विकृत न हों जिससे मनमानेपन की ओर ले जाया जा सके। परन्तु, यह तय करने में कि क्या रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, रिट न्यायालय को तथ्यों, आरोपों, साक्ष्य और भौतिक निष्कर्षों पर पूरी तरह से विचार करने की सलाह दी जाएगी। निजी पक्षों के मध्य दीवानी प्रकरण का न्यायनिर्णयन करने या आपराधिक विचारण का संचालन करने के शुद्ध और सरल पारंपरिक न्यायिक कार्य का निर्वहन करने वाले न्यायाधीश के विपरीत, रिट क्षेत्राधिकार में कार्य करने वाले न्यायाधीशों को प्रशासनिक विधियों, औद्योगिक विधियों, सेवा विधियों और ऐसे अन्य प्रकार के प्रकरणों से संबंधित मामलों में जारी किए जाने वाले रिट, निर्देश या आदेश के परिणामों के लिए भी जीवंत होना चाहिए, जिनके विभिन्न परिणामी प्रभाव होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन द्वाराराष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल में दिए गए व्याख्यानों के आधार पर तैयार किए गए **'रेन्डरिंग ऑफ जजमेंट'** नामक लेख को पढ़ना प्रासंगिक रूप से लाभदायक होगा : **Law Web** 29 जून 2012-**HTTP://www.lawweb.in** देखें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह तथ्य विवादित नहीं है कि साक्ष्य देने वाले साक्षियों से अपचारी द्वारा या उसकी ओर से प्रति- परीक्षण किया गया था। यह भी सच है कि जिन दस्तावेजों पर नियोक्ता ने जांच् प्राधिकारी के समक्ष भरोसा किया था, वे भी जांच के दौरान उपलब्ध थे। उस सीमा तक अपचारी का यह अभिवाक् कि उसे जांच में संदर्भित सामग्री, साक्षियों और दस्तावेजों की सूची समय पर प्रदान कर जांच में सम्मिलित होने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया था, अपने आप में रिट अधिकारिता के हस्तक्षेप का प्रमुख आधार नहीं बनता है। परन्तु जांच में संदर्भित सामग्री, साक्षियों और दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत न करने के साथ, यह भी संकेत दे सकती है कि नियोक्ता द्वारा जांच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के माध्यम से कुछ विकल्प रखे गए थे; कि अपचारी के विरुद्ध कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं। यही वह जगह है जहाँ अपचारी का अपने स्वयं के संचार के आधार पर

बचाव महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि ऐसा था, तो हम इसे एक ऐसे प्रकरण के रूप में नहीं ले सकते जहां घरेलू जांच में सुसंगत सामग्रियों का कोई प्रतिकूल बहिष्कार नहीं था, जो एक तरह से ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत की उचित संतुष्टि के रूप में आवश्यकता को प्रभावित करता है।हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपचारी के लिए लगातार प्रकरण प्रतीत होता है कि वह पीड़ित किया जा रहा था क्योंकि वह अपने वरिष्ठों के कुछ आदेशों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अतः यह प्रश्न कि क्या घरेलू जांच विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कायम रहती या नहीं, तथ्यों पर एक गहरा निर्णय होता, हमें इस निष्कर्ष पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है कि जांच कार्यवाही को यथावत जाना चाहिए जो विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को परेशान करती है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि इस दूर के समय में, हम सभी सुसंगत कारकों को प्रतिफल रखते हुए रिट अपीली क्षेत्राधिकार में इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, जिसमें अपचारी की उम्र और इस मुकदमे पर मुकदमा चलाने में जो समय लगा है, आदि सम्मिलित हैं। अतः हम मानते हैं कि रिट अपीली क्षेत्राधिकार में, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है, जहां तक कि इसके परिणामस्वरूप अपचारी को बर्खास्त करने के आदेश को अपास्त कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पूर्व वेतन या प्रतिकार, यदि कोई हो, जिसके लिए ऐसा अपचारी हकदार हो सकता है, के प्रश्न पर आगे बढ़ते हुए, हमें कुछ अवधारणाओं को ध्यान में रखना होगा, जो अब तक भारत के माननीय उच्चतम न्यालालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से अच्छी तरह से तय किए गए हैं। हम बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में न्यायनिर्णयन रहे हैं। ये संस्थान सार्वजनिक धन से संबंधित कार्य कर रहें हैं। वे लोगों के विश्वास पर कार्य करते हैं। उपभोक्ता और बैंकर के मध्य परिलक्षित संव्यवहार की शुद्धता ऐसी किसी भी संस्था के लिए प्रचुर महत्व के मामले हैं। सर्वोच्च न्यालालय द्वारा दिए गए उदाहरणों की श्रृंखला इस बात पर जोर देती है कि ऐसे क्षेत्रों में, पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण अक्षम्य रूप से आवश्यक है और वित्तीय गबन, भ्रष्टाचार, उपेक्षा,

लापरवाही, भाई-भतीजावाद आदि के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए। देखें : **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम विश्व मोहन**[1]**; क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआरटीसी बनाम होटी लाल**[2]**; अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम पी.सी. कक्कड़**[3]**; भारतीय स्टेट बैंक व एक अन्य बनाम रमेश दिनकर पुंडे**[4]**, और महाप्रबंधक (संचालन) भारतीय स्टेट बैंक व एक अन्य बनाम आर. पेरियासामी**[5]। बैंक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ अपचारी के विद्वान अधिवक्ता ने **अनिल गिलपुरकर बनाम बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व एक अन्य**[6] में निर्णयों को संदर्भित किया है। उन मामलों में से प्रत्येक में तथ्यों पर और उन मामलों में से प्रत्येक की परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने के लिए पृथक मापदंड लागू किए गए थे। अतः हमारे लिए किसी भी विनिश्चय के आधार को निकालना अनुचित होगा जो हमें प्रतिकर या पूर्व वेतन के प्रारूप में मानकीकृत मात्रा पर एक मानक प्रारूप प्रतिशत प्रदान कर सकता है। वह प्रश्न तथ्य पर केंद्रित है, जिसका निर्णय प्रत्येक विशेष प्रकरण में उस प्रकरण के लिए सुसंगत विशेष कारकों के आधार पर किया जाना है।इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हम देखते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपचारी की ओर से यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि वह सेवा से बर्खास्त होने के बाद लाभकारी रूप से कार्यरत नहीं था।न ही इस अपील में ऐसी कोई सामग्री है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17-ख की सामग्री से विधायी मार्गदर्शन के माध्यम से संकेत लेते हुए, जो एक बैंक प्रबंधक के प्रकरण में उत्परिवर्तित रूप से लागू नहीं हो सकता है, और उस धारा को स्पष्ट करने वाले न्यायिक उदाहरण, हमें रिट क्षेत्राधिकार में, प्रतिकर या उचित प्रतिस्थापन पूर्व वेतन के लिए एक अनुमानित आवश्यकता की परिकल्पना करनी चाहिए जो अपचारी के पक्ष में न्याय की मांगों का जवाब देने के लिए पर्याप्त होगी। हाथ में प्रकरण में, हम देखते हैं कि अगस्त

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1 (1998) 4 SCC 310

2 (2003) 3 SCC 605

3 (2003) 4 SCC 364

4 (2006) 7 SCC 212

5 (2015) 3 SCC 101

6 (2011) 14 SCC 379

1988 में दिए गए बर्खास्तगी के आदेश से फैली मुकदमेबाजी अब तक बह गई है। इसके मध्य, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित निर्णय दिए जाने के बाद अपचारी ने चार माह तक काम किया। घरेलू जांच में निष्कर्ष विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा केवल उन आधारों पर परेशान किए गए थे जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पाई गई उचित प्रक्रिया का पालन न करने के लिए संदर्भित थे।जैसा कि ऊपर पहले ही कहा जा चुका है, साक्षियों की प्रति- परीक्षण, जिसमें उनकी प्रति- परीक्षण और प्रति- परीक्षण के दौरान दस्तावेजों की उपलब्धता सम्मिलित है, ऐसे मामले हैं जो काफी हद तक अपचारी के विरुद्ध हैं। अपीलार्थी की बर्खास्तगी के बाद उनकी बहाली तक की पूरी अवधि के लिए किसी भी श्रम का योगदान नहीं किया गया था या अपचारी द्वारा योगदान नहीं किया जा सकता था, जिसके बाद चार माह के श्रम का योगदान उन्होंने सेवानिवृत्ति तक किया था। जिस कमाई की वह उचित रूप से उम्मीद कर सकते थे, अगर वह सेवा में बने रहते, तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम भूल जाते। अभिलेख पर तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर सभी आवश्यक कारकों को संतुलित करते हुए, हमारा विचार है कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि अपचारी को उस राशि का 20 प्रतिशत वेतन वापस करने का आदेश दिया जाता है जो उसने सेवा से बर्खास्तगी की दिनांक को अंतिम बार प्राप्त किया होता। बर्खास्तगी का आदेश जो नियोक्ता द्वारा दिया गया था, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है गया था और आक्षेपित निर्णय के उस भाग की हमारे द्वारा पुष्टि की गई थी, यह माना जाता है कि अपचारी के खाते में उसकी सेवानिवृत्ति तक की सेवा जो उसकी बहाली के बाद होती है, उस उद्देश्य के लिए अधिवार्षकी तक सेवा की अवधि की गणना करके उसके सेवानिवृत्ति लाभों को निर्धारित करने के उद्देश्य से गिने जाने योग्य है।

11. परिणामस्वरूप :

(i) रिट याचिका में पारित आदेश, जिस सीमा तक यह उत्तरवादी को सेवा से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बर्खास्त करने के आदेश को अपास्त करता है, उसकी पुष्टि की जाती है।

(ii) इस रिट अपील में पिछले वेतन के भुगतान के लिए दिए गए आदेश के निर्देश को संशोधित किया जाता है और पिछले वेतन के 20 प्रतिशत के भुगतान तक सीमित किया जाता है।

(iii) आगे यह निर्देश दिया जाता है कि उत्तरवादी के खाते में उसकी सेवानिवृत्ति तक की सेवा जो आक्षेपित निर्णय के आधार पर उसकी बहाली के बाद हुई थी, उसकी गणना उसके सेवानिवृत्ति लाभों को निर्धारित करने के उद्देश्य से सेवा की अवधि के हिसाब से की जाएगी।

(iv) रिट अपील उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है।

(v) वाद- व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-	सही/-
(थोताथिल बी. राधाकृष्णन)	(शरद कुमार गुप्ता)
मुख्य न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**